वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या : 612/XVII–02/09–06(51)/2005

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर 2009

विषयः– विकलांगजनों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 की बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना हेतु **लेखानुदानान्तर्गत प्राविधानित धनराशि निर्गत करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 144/XVII–02/09–06(51)/2005 दिनांक 14.07.2009 को निरस्त करते हुये** वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में प्राविधानित रु0 0.01 लाख (एक हजार रुपये मात्र) एवं संलग्न बी0एम0–15 में उल्लेखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा **रु0 19.99 लाख (उन्नीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) कुल रूपये 20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय करने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. योजना का संचालन शासनादेश संख्या 459/XVII–02/09–06(51)/2005 दिनांक 14.07.2009 द्वारा प्रख्यापित नवीन नियमावली के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. **योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण सीधे शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाये** साथ ही बी0 एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम 5 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–15–आयोजनागत के लेखाशीर्षक **'2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–13–विकलांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना–00,** के मानक मद **"20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता"** के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 386(P)/XXVII(3)/2009 दिनांक 23, सितम्बर 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 672/XVII–02/09–06(51)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

प्रपत्र - बी.एम.-15
(पैरा-156)

नियंत्रक अधिकारी - सचिव, समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2009-2010

प्रशासकीय विभाग -- समाज कल्याण
अनुदान संख्या - 15
(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानकमदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ-1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनु.सं0-15 आयोजनागत 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 11-विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम 00- 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय 9000 पुनर्विनियोग 2860 6140	--	500	5640	अनु.सं0-15 आयोजनागत 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 13-विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना 00- 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1999	2000	4141	क) विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम में पर्याप्त प्रस्ताव न होने के कारण बचत की सम्भावना है। ख) विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की गाइड लाइन्स निर्गत कर दी गई हैं, अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोग आवश्यक है।
योग 6140	--	500	5640	योग 1999	2000	4141	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है

(मनीषा पंवार)
सचिव,
समाज कल्याण।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 3
सं0- 386(P)(1)/XXVII(3)/2009
देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत ।
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त.

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा.देहरादून।

संख्या- 672 (2)/XVII-2/09-06(51)/2005/तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(शैलेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव, समाज कल्याण।